उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-48/2019/895/26-3-2019

लखनऊ दिनांकः 28 फरवरी, 2019

आदेश/शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बलिया के विकासखण्ड-बेरूआबारी के ग्राम धनीधरा में इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण आदि कार्यो की परियोजनाओं की कुल लागत रूपया-49.25 लाख के सापेक्ष रू0-30.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-16/2019/3114/26-3-2018 दिनांक-22.01.2019 द्वारा जारी की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर के तालिका में जनपद-बलिया के विकासखण्ड-बेरूआबारी ग्राम धनीधरा के स्थान पर ग्राम पिण्डहरा पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश संख्या-16/2019/3114/26-3-2018 दिनांक-22.01.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय एवं शासनादेश की अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध पूर्ववत् रहेंगे।

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव।

पृ0संख्या-48/2019/895(1)/26-3-2019-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्रेषितः-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2.निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

3.जिलाधिकारी/ जिला समाज कल्याण अधिकारी बलिया।

4.निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

5.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

6.प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 (उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0) लखनऊ।

7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

9.गार्डफाइल।

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।